ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति

-बच्चों की सुरक्षा के लिए समुदाय की भागेदारी के लिए एक आदर्श संरचना

परिचय और दलील: विकेन्द्रीकरण और सुशासन एक दुसरे का पूरक है। विकेन्द्रीकृत शासन का तात्पर्य स्थानीय समुदाय की भागेदारी उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से योजना निर्माण, निर्णय लेने और निगरानी शासन का आदर्श मॉडल माना जाता है। राज्य में प्रगतिशील कानूनों और लोगों क अनुकूल कार्यक्रमों और योजनाओं की कोई कमी नहीं है, हालांकी इन कानून और योजनाओं के कमजोर कार्यान्वयन के कारण लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत/वार्ड परिषद् को जहॉ एक मंच या कार्रवाई बिंदु के रूप में देखती है जो स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान और योजनाओं और कानूनों के क्रियान्वयन में नौकरशाही के उपर से नीचे के दृष्टीकोण के खामियो में सुधार करेगा। यह बिहार जैसे राज्यों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जहॉ 89 प्रतिशत लोगा गॉवों में रहते हैं।

खराब सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को अपने माता–पिता के धरेलू खर्च में मदद करने के लिए खेतों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।चरम गरीबी और साामाजिक असमानता के कारण बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर और बाहर अकेले बगैर परिवार के इन बच्चों का पलायन देखा जा सकता है जो कमजोरियों को उजागर करती है।

ग्रामीण समाज में मौजूद घातक सामाजिक धारणाऍ और रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताऍ और सांस्कृतिक प्रथाऍ बाल विवाह की स्वीकृति, बाल मजदूरी की स्वीकार्यता और संस्थागत दण्ड या दण्डात्मक और प्रताड़ना आदि अनुशासन विधि के रूप में स्वीकार्यता बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का गंभीर नुकसान पहूँचाता है। इसलिए एक तरफ धीरे–धीरे इन प्रथाओं को स्थानीय समुदाय और स्थानीय शासन व्यवस्था द्वारा समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए तो दुसरी तरफ एक ऐसी अपनी व्यस्था स्थापित करनी चाहिए जहॉ स्थानिय समुदाय की भागेदारी से संसाधन चित्रण, निर्णय लेना, लागु और निरीक्षण के द्वारा एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जा सके जिसमें अलग–अलग सामाजिक आर्थिक के बच्चों के लिए सुरक्षा और शोषण मुक्त बचपन निश्चित किया जा सके।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और विकास आदि से जुड़ी सेवाओं की पहुँच ग्राम पंचायत स्तर तक हो सके जबकी बच्चों से जुड़ी सभी कानूनी प्रावधानों को लागु करने वाली संरचना प्रखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर तक पर नहीं दिखाई पड़ती है। सिर्फ समेकित बाल संरक्षण स्कीम (ICPS) के जो ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की बात करती है, जिसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं और अन्य सदस्य जिनमें ग्रामीण और बच्चे हैं, जो गॉव स्तरीय समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए पंचायत सदस्यों की भुमिका बाल संरक्षण और इससे जुड़ी कानूनी प्रावधानों और स्कीम को गॉव में लागु करने में महत्वपूर्ण हो जाता है।

ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की परिकल्पना एक ऐसे साझा मंच के रूप में की गई है जो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान कर बच्चों सुरक्षा के अधिकार के उल्लंधन के मामलों को उजागर करनें में निर्णायक भूमिका अदा करे। यह एक ऐसा संरचना है जो योजनाओं और कानूनी प्रावधानों पर चर्चा कर उसे बच्चों की सुरक्षा के लिए लागु कर सके। इस समिति के अलावा अन्य कोई भी ऐसा मंच या संरचना नहीं है जो बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करा सके। इस संदर्भ में गॉव स्तरीय बाल संरक्षण समिति स्थानीय स्तर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान हो जाता है। ग्राम बाल संरक्षण समिति एक तरफ सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य करेगी तो दूसरी ओर यह बच्चों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में स्वशासन की एक स्थानीय संस्था होगी।

यह समिति सुनिश्चित कर सकती है कि कमजोर बच्चों और उनके परिवार की आवाज उसके केन्द्र में है जैसा कि महात्मा गांधी के संदेश में यह परिकल्पना थी कि नीति निर्माण, योजना और कार्यान्वयन सभी समुदाय की भागेदारी से हो।

ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की संरचना

1. मुखिया – अध्यक्ष
2. उपमुखिया – उपाध्यक्ष
3. पंचायत सचिव – पदेन सचिव
4. बाल प्रतिनिधि – सदस्य
5. बाल प्रतिनिधि – सदस्य (एक बाल प्रतिनिधि निश्चित तौर पर लड़की हो)
6. आंगनवाड़ी सेविका – सदस्य (सभी आंगनवाड़ी सेविका)
7. प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (विद्यालय संचालन समिति द्वारा नामित, पंचायत में संचालित सभी विद्यालयों का प्रतिनिधित्व समिति मेंहोना चाहिए)
8. ए.एन.एम–सदस्य
9. ग्राम चौकिदार – सदस्य
10. गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्ति – सदस्य
11. गॉव के प्रतिष्ठित व्यक्ति – सदस्य (अनु0 जाति/जनजाति का एक व्यक्ति)
12. स्वयंसेवी संस्था/ समुदाय अधारित संस्था का एक प्रतिनिधि – सदस्य
13. जिला स्तरीय बाल सुरक्षा समिति का प्रतिनिधि – आमंत्रित सदस्य

गॉव के अधार पर महात्मा गांधी का स्वशासन मॉडल

प्रत्येक गॉव एक आत्मनिर्भर गणराज्य हो जाये। इसके लिए किसी साहसिक प्रस्तावों की आवश्यक्ता नहीं है। इसके लिए आवश्यक्ता है एक साहसिक, कारपोरेट और बुद्धिमतापूर्ण कार्य की। मेरे पास लाखों अज्ञानी और गरीबी से त्रस्त भारत का चित्र नहीं है। अपने प्रतिभा के बल पर सतत विकास कर रहे एक भारत का चित्र है। अगर मेरा सपना पूरा होता है तो देश के सात लाख गॉवों में से प्रत्येक गॉव एक ऐसे गणतंत्र बन जायेंगे जहॉ कोई अशिक्षित नहीं होगा, काम के अधार पर कोई बेकार नहीं होगा, सभी को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा, हवादार अवास और शरीर को ढकनें के लिए खादी वस्त्र और जिसमें सभी ग्रामीण स्वच्छता और सफाई के कामूनों का पालन करना जानते होंगे। यहॉ जो स्वाभाविक तस्वीर में असंभव कुछ भी नहीं है। सच्चे लोकतंत्र का और गॉव जीवन का कोई भी प्रेमी एक गॉव ले सकता है, इसे अपनी दुनिया की तरह और एकमात्र काम की तरह देखे और उसे अच्छा परिणाम मिलेगा।(Source:R. Prabhu & UR Rao (eds), *Village Republics: the Mind of Mahatma Gandhi*, pp. 246-247, Ahmedabad, Navjivan Press)

गॉव स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के कार्य–

1.गॉव स्तर पर बाल सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं का एक वाचॅडाग के भूमिका में निरीक्षण।

2. गॉव के बाहर खासकर अकेले पर्वासन (पलायन किये हुए) में रह रहे बच्चों का रेकार्ड एक पंजी में दर्ज करवाने में सहयोग करना।

3.बाल सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए परामर्श/अनुशंसा।

4. बाल विवाह, बाल मजदूरी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल व्यापार आदि से जुड़े कानूनों का अनुपालन करवाना और समेकित बाल संरक्षण स्कीम का प्रभावी ढ्ग से लागू करने की रणनीति तैयार करने में सहयोग करना।

5. बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर जागरूकता कार्य क्रमों का आयोजन।

6. गॉव या समुदाय अधारित बाल सुरक्षा के लिए स्वयं या प्रतिष्ठित संस्था या जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति के के साथ मिलकर योजना बनाना।

7. जिला बाल संरक्षण केन्द्र/जिला बाल संरक्षण समिति/प्रखण्ड बाल संरक्षण समिति द्वारा आहुत बैठकों में भाग लेना।

8. जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग प्रदान करना।

9. भलनेरेबुल बच्चो/ परिवार को चिन्हित करना और स्पांसर सीप कार्यक्रम के लिए इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण समिति से साझा करना।

10. जिला स्तरीय बाल सुरक्षा समिति और अन्य जिला स्तरीय नोडल विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

11. जिला स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के साथ आवश्यक जानकारियों को साझा करना।

12. स्थानीय पुलिस के साथ समय–समय पर बैठके आयोजित करना जिसमें उन्हे गुमशुदा बच्चों, बाल विवाह की घटना से अवगत कराना, जबरिया बंधुआ मजदूरी के संबंधित घटना और संदेहास्पद स्थिति में घुम रहे ट्रैफिकर और जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में दिखती हो और बच्चों से हिंसा या प्रताडना संबधि घटना की सुचना दी जा सके।

13. बच्चों के हीत में समुदाय अधारित संसाधनों को मजबूति प्रदान करना।

14. बाल मित्र ग्राम/पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास करना।

ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की बैठकें–

- ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम– बैठक के लिए कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए।
- बैठक स्थल –बैठक पंचायत भवन में आयोजित होनी चाहिए या अध्यक्ष को जहॉ भी व्यवहारिक लगे। ।ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति का कार्यालय पंचायत भवन में अवस्थित होगा।

ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यप्रणाली–

- ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की बैठके प्रत्येक तिन महिनें पर आयोजित होगी या जो भी अध्यक्ष को उचित लगे लेकिन किसी भी दो लगातार बैठकों के बीच तिन महिने से ज्यादा का अन्तराल नहीं होना चाहिए।
- बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया करेंगे। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया बैठक की अक्षता करेंगे।
- बैठक की कार्यवाही कार्यवाही पंजि में दर्ज होगी जिसपर सभी उपस्थित सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।
- बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि उपस्थित सदस्यों से बैठक के बाद यथाशीध्र करा ली जायेगी या अगली बैठक आयोजित होने से पूर्व संपुष्टि आवश्यक होगा।
- बैठक में लिया गया निर्णय सभी सदस्यों को मान्य होगा चाहे वह उस बैठक में उपस्थित नहीं हुआ हो तब भी।

जिला स्तरीय बाल संरक्षण केन्द्र/समिति

- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अध्यक्ष पंचायत समिति की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रखण्ड स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की बैठकों को निर्धारित अवधि में आयोजित करवाना एवं उसकी निगरानी रखना।
- डिस्ट्रीक्ट नीड एसेसमेंट के अधार पर एक्शन प्लान बनाना।
- प्रत्येक रेभेन्यू ग्राम में ग्राम स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के लिए आवश्यक अधिसूचना निर्गत करना।
- समिति के सदस्यों के उत्प्रेरण/क्षमता वर्द्धन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- समुदाय की शिक्षा/जागरूकता हेतु उचित सामग्री/प्रचार सामग्री तैयार करना।
- सभी गॉव/ प्रखण्ड स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के प्रतिवेदन का संकलन।